



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या- 26440 वर्ष 2026

सिंतु उर्फ नितिन

.....आवेदक(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्ष(ओं)

आवेदक(ओं) के अधिवक्ता : देवेंद्र कुमार मिश्रा

विपक्षी पक्ष(ओं) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या- 65

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री देवेंद्र कुमार मिश्रा और राज्य के विद्वान एजीए श्री शत्रुहन यादव की बात सुनी गई।
- यह जमानत याचिका मामले संख्या 1128/2017, धारा 302 और 394 आईपीसी, पुलिस स्टेशन नोएडा फेज-3, जिला गौतम बुद्ध नगर में मुकदमे की सुनवाई के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा करने की मांग करते हुए दायर की गई है।
- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि इस मामले की एफआईआर तीन अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज की गई थी, लेकिन जांच के दौरान सह-आरोपी अर्जुन को आरोपी बनाया गया और जब जांच अधिकारी ने उसका बयान दर्ज किया तो उसने आवेदक का नाम बताया। सह-आरोपी के बयान और पुलिस के समक्ष आवेदक के इकबालिया बयान के अलावा, आवेदक के खिलाफ रिकॉर्ड पर कोई ठोस सबूत नहीं है।
- उन्होंने आगे कहा कि आवेदक का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं था और गरीबी के कारण वह पहले अपनी जमानत याचिका भी दायर नहीं कर सका था और वर्तमान मामले में वह जून 2018 से यानी पिछले आठ वर्षों से अधिक समय से जेल में है।
- अतः, उन्होंने निवेदन किया कि मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, आवेदक को जमानत पर रिहा किया जा सकता है।
- इसके विपरीत, विद्वान एजीए ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, लेकिन आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तथ्यों के आधार पर दिए गए तर्क का खंडन नहीं कर सके।
- मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनी और मामले के अभिलेख का अध्ययन किया।
- हालांकि, आरोप के अनुसार, आवेदक और अन्य लोगों ने लूटपाट की और घटना के दौरान उन्होंने मृतक की चाकू से वार करके हत्या भी कर दी, लेकिन एफआईआर में किसी का नाम नहीं है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

9. इसके अलावा, इससे यह स्पष्ट होता है कि जांच के दौरान अर्जुन को आरोपी बनाया गया था और जब जांच अधिकारी ने उसका बयान दर्ज किया तो उसने आवेदक का नाम बताया। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि सह-आरोपी के बयान और पुलिस के समक्ष आवेदक के इकबालिया बयान के अलावा, आवेदक के खिलाफ कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं है।

10. इसके अलावा, इस मामले का सबसे चौंकाने वाला और दुखद तथ्य यह है कि आवेदक का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास न होने के बावजूद वह 14.06.2018 से यानी पिछले आठ वर्षों से अधिक समय से जेल में है और आज तक मामले की सुनवाई पूरी नहीं हो सकी है। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक के शीघ्र सुनवाई के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है।

11. अतः, ऊपर बताए गए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मेरी राय में, आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

12. तदनुसार, मामले की खूबियों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, तत्काल जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

13. आवेदक- **सिंतु उर्फ नितिन** को उपरोक्त मामले में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि के व्यक्तिगत मुचलके और दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:

(i) आवेदक निर्धारित तिथियों पर निचली अदालत के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो।

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

(iii) आवेदक किसी भी आपराधिक एवं असामाजिक गतिविधि में लिप्त नहीं होगा।

14. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अभियोजन पक्ष आवेदक की जमानत रद्द करने के लिए इस न्यायालय के समक्ष आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होगा।

15. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां जमानत आवेदन के निपटान से संबंधित पक्षों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक ही सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का मुकदमे की सुनवाई के दौरान मामले की खूबियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

6 अगस्त, 2026

(न्यायमूर्ति समीर जैन)